गुणवत्ता नियंत्रण

कम से कम किंमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तू की आपूर्ति करना सीएसडी का प्रमुख उद्देश है । सीएसडीद्वारा आपूर्ति की जानेवाली वस्तू की गुणवत्ता नियंत्रण की एक अच्छी तरह से परिभाषित, सिद्ध प्रणाली है । इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है की विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सक्रीय एवं प्रतिक्रियाकारी सख्त उपाय योजना की है । गुणवत्ता निश्चिती के लिए उपायों को नीचे दिया गया है:-

अ) सक्रीय उपाय

❖ **आरंभिक प्रस्तुती के लिए-**

- तांत्रिक डाटा गुण विशेष (टीडीएस) और मास्टर नमूना को आपूर्तिकर्तादवारा प्राप्त किया जाता है ।
- अनुसंधान और विकास (आर अॅन्ड डी) एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं के साथ कारखाना निरीक्षण जगह पर जाँच किया जाता है ।
- शराब एवं खाद्य वस्तुओं के मामले मे कारखाने की स्वच्छता, निरीक्षण सेना वैद्यकीय अधिकारीद्वारा कि जाती है । उत्पादन की जाँच संघटीत खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) द्वारा भी की जाती है ।

नियमित जाँच

❖ खाद्य एवं शराब वस्तू

- सीएफएल के साथ एवं पास स्थित १३ सीएसडी क्षेत्रीय गोदामद्वारा, कम से कम छह महिने मे एक बार, खाद्य एवं शराब का नमूना लिया जाता है और जाँच के लिए भेजा जाता है ।
- परिपक्व रम के नमूने १३ नामांकन किए गए गोदामद्वारा तीन महिने मे एक बार जाँच के लिए निकाले जाते है ।
- बीअर का नमूना हर महिने जाँच के लिए निकाला जाता है ।
- जाँच के लिए नमूने, बोर्ड अधिकारीद्वारा लॉट मे एवं अनियोजित रुप से निकाले जाते है ।

❖ दवाईयाँ

- सीएसडी सिर्फ सिध्द की गई गुणवत्ता, नामचीन उत्पादकद्वारा तैयार की गई दवाई का व्यवहार करता है ।
- दवा और दवाइयों की अवधि समाप्त होने से बहुत ही पहले उसकी बिक्री हो जाती है।
- शिकायत होनेपर, दोषपूर्ण दवाई के लॉट की बिक्री बंद की जाती है और संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

❖ सौंदर्यवर्धक / प्रसाधन जरुरते

- ऐसे वस्तूओं की जाँच सीएसडी मुख्यालय की तरफ से क्षेत्रीय जाँच केंद्र तथा मान्यताप्राप्त सरकारी / निजी प्रयोगशालाद्वारा मध्यवर्ती रुप से की जाती है ।
- हर वस्तू की जाँच कम से कम छह महिने मे एक बार की जाती है ।

❖ घरेलु चीजे, यात्री जरुरते और टिकाऊ उपभोक्ता

- विभागद्वारा मास्टर नमूने की देखभाल की जाती है ।
- विभाग हर महिने मे अनियोजित रुप से ५० वस्तुओं की सूची बनाता है, और क्षेत्रीय सीएसडी गोदामों से नमूना निकाला जाता है और इसकी तुलना मास्टर नमूना / टीडीएस से की जाती है ।
- जाँच सरकारी मान्यताप्राप्त जाँच संस्थाद्वारा की जाती है ।
- सभी वस्तुओं की जाँच कम से कम छह महिने मे एक बार की जाती है ।

ब) प्रतिक्रियाकारी उपाय

विभागद्वारा नियमित / हमेशा की जाँच को छोडकर निम्न परिस्थितीओं के तहत गुणवत्ता की जाँच की जाती है :-

- यूआरसीद्वारा शिकायते ।
- व्यक्तिगत शिकायते तथा सूचनाए ।
- वरीष्ठ अधिकारीद्वारा उनके गोदाम की भेट के समय नमूने लिए जाते है और उसकी जाँच की जाती है ।
- गोदाम प्रबंधकद्वारा शिकायत ।

विचलन हुए सभी मामले जो विभाग को नजर आते है, उनके बारे में दंड लगाना और / या बिक्री एवं ऑर्डर का निलंबन जैसी कठोर कारवाई की जाती है । विचलन की अगर पुनरावृत्ती होती है तो उस वस्तू को सीएसडी की विस्तृत सूची में से निकाला जाता है ।